न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 700 / 2026
बाढ़ थाना कांड संख्या 797 / 2024

विकाश कुमार, पिता जनार्दन पासवान, उम्र करीब 20 वर्ष
साकिन–बिचली मलाही, थाना–बाढ़, जिला–पटना.....आवेदक अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री रामकुमार सिंह
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 आर0 रहमान

आदेश

03.08.2026 आवेदक अभियुक्त विकाश कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद बाढ़ थाना कांड संख्या 797 / 2024, अंतर्गत धारा 331(4), 305(a) भारतीय न्याय संहिता से सम्बंधित है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि इनकी ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से दो आपराधिक मामले हैं। इस वाद में आवेदक अभियुक्त निर्दोष है और इसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त औपचारिक प्राथमिकी का नामित अभियुक्त नहीं है तथा इनके पास से कुछ भी बरामद नही हुआ है। इनके विरुद्ध लगाया गया आरोप झूठा और बनावटी है तथा सूचक द्वारा जैसा कहा गया है, उस स्थल पर वैसी घटना नही घटी है। सूचक घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो के अनुपालन एवं सक्षम जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता जमानत का विरोध करते हैं तथा अपने निवेदन में कहते हैं कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध पूरक कांड दैनिकी के पारा 26 के अनुसार कुल 4 आपराधिक मामले लंबित है, जो सभी चोरी के मामले हैं। इसलिए इनका नियमित जमानत आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि इस वाद की सूचिका मुन्नी देवी है, जिसने लिखित आवेदन थानाध्यक्ष बाढ़ को दी है। सूचिका का कथन है कि वह वर्तमान समय में बाल–बच्चों के पढ़ाई के लिये सिपारा पटना में रहती है। दिनांक 19.10.2024 को सुबह इनकी सास का फोन आया कि इनके घर में चोरी हो गया है तब ये अपने घर बाढ़ आयी और देखी कि इनके घर से एक सोने का चेन 10 ग्राम का, कान की बाली, कान का दो जोड़ा बुटी 5

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 700 / 2026
बाढ़ थाना कांड संख्या 797 / 2024

लगातार
03.08.2026

ग्राम का, दो जोड़ा पायल 200 ग्राम तथा 35000 रूपया नहीं है। कुल मिलाकर 1,72,000 रूपया का सामान चोरी कर लिया गया है।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त अप्राथमिकी अभियुक्त है। अभियुक्त तथा सूचिका के घर से जेवर, रुपया चोरी कर लेने का आरोप है। कांड दैनिकी प्राप्त है। कांड दैनिकी के पारा–04 में वादी का पुनः बयान, पारा–06 में साक्षी राजेश्वरी देवी, पारा–07 में साक्षी विपीन कुमार, पारा–08 में साक्षी मीना देवी का बयान अंकित किया गया है, सभी साक्षियों ने घटना का पूर्णतः समर्थन किया है, परन्तु घटना कारित करने वाले किसी अभियुक्त का नाम नहीं बताये हैं। पारा–09 में घटना स्थल के पास सी0सी0टी0वी0 कैमरा नहीं लगा है। पारा–30 में आवेदक अभियुक्त उपेन्द्र कुमार का अपराध स्वीकारोक्ति बयान अंकित किया गया है, जिसमें अभियुक्त ने अपराध को स्वीकार किया है तथा सहयोगी के रूप में कुल 11 अभियुक्तों का नाम बतलाया है। पूरक कांड दैनिकी के पारा–26 में आवेदक अभियुक्त का 4 आपराधिक इतिहास अंकित किया गया है। सभी मामला चोरी का ही है। पूर्व में अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र एवं पूरक आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। अन्य सभी सह अभियुक्तों को आरोप गठन के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एवं कुछ को इस न्यायालय के द्वारा नियमित जमानत का लाभ दिया गया है। आवेदक अभियुक्त द्वारा यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी है।

उक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त को इस स्थल पर अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामस्वरुप आवेदक अभियुक्त विकाश कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। आवेदक अभियुक्त यदि चाहे तो नियमित जमानत हेतू आवेदन दाखिल कर सकते हैं।

(लेखापित / शुद्धित)

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ